न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 11/2019 **दायरा दिनांक : 24.01.2019**

उनवान

1– धन्नीबाई बेवा मदनलाल, जाति भील, निवासी गोरधनपुरा

2– बजरंगलाल आत्मज मदनलाल, जाति भील, निवासी गोरधनपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झालरापाटन, जिला झालावाड़

3– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, झालावाड़

4– चीफ कन्जरवेटर, वन विभाग राजस्थान जयपुर

5– वन मण्डल अधिकारी, झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रामबाबू मालव अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 व 5 एवं पैरोकार सरकार की ओर से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

निर्णय **दिनांक : 20.10.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या – 403/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 92ए, 88, 89, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिनी क्रम 1 के पति एवं वादिनी क्रम 2 के पिता मदनलाल आत्मज औंकारलाल ने दिनांक 25.11.1971 को उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ में आवेदन बाबत काश्त करने के लिए नई जमीन दिया था, जिसमें अंकित विवरण के अनुसार वादी ने ग्राम गोरधनपुरा, तहसील झालरापाटन में स्थित आराजी खसरा नम्बर 105 में से भूमि का आवंटन चाहा था जिसके तहत दिनांक 26.07.1972 को भू आवंटन सलाहकार समिति के अनुमोदन पर मदनलाल को ग्राम गोरधनपुरा खसरा नम्बर 105 रकबा 2 बीघा भूमि का आवंटन किया था जिसका दखलनामा दिनांक 26.09.1972 को आराजी की चतुर्थ सीमाऐं बताते हुए दिया था। इस आराजी के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 73 दर्ज कर मदनलाल को गैर खातेदारी अधिकार भी दिए थे। सैटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 105 मिन नम्बर व खसरा नम्बर 106 मिन नम्बर से खसरा नम्बर 153 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा बनाया जिसमें से 84 बीघा 15 बिस्वा जमीन महकमा जंगलात वन विभाग के खाते में दर्शायी शेष जमीन 8 बीघा के बारे में कोई नम्बर नहीं दर्शाये गए। उक्त गैरखातेदार मदनलाल के खातेदारी में आराजी नहीं आयी थी दिनांक 01.10.2001 को गैरखातेदार मदनलाल की मृत्यु हो गई, उसके उपरान्त प्रतिवादी ने वादीगण को गैरखातेदार से उत्तराधिकार रूपी कब्जे

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

काश्त से प्राप्त इस आराजी में अपना कब्जा करने की कोशिश की तथा यह बताने का प्रयास किया कि खसरा नम्बर 105 का विलीनीकरण खसरा नम्बर 153 में हो गया है तथा यह आराजी उसके अधिकार क्षेत्र की तथा उसके हक की है, इस कारण वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद के माध्यम से पूर्वानुसार वादी संख्या 1 के पति तथा वादी संख्या 2 के पिता मदनलाल को विधिवत आवंटित व उसके गैरखातेदारी में आयी आराजी के संबंध में खातेदारी की घोषणा इस प्रकार चाही कि उनका तथा पूर्व गैर खातेदार मदनलाल का कब्जा उक्त आराजी में 29 वर्ष से है जिस कारण वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि यह आराजी वन विभाग की खातेदारी में है जिस कारण वाद इस न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की। अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि सैटलमेंट विभाग ने खसरा नम्बर 105 मिन नम्बर व खसरा नम्बर 106 मिन नम्बर से खसरा नम्बर 153 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा बनाया जिसमें से 84 बीघा 15 बिस्वा जमीन महकमा जंगलात वन विभाग के खाते में दर्शायी, शेष जमीन 8 बीघा के बारे में कोई नम्बर नहीं दर्शाये गये । इस संबंध में अपीलार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय में वन विभाग के प्रति तो यह केस था कि वह अपनी 84 बीघा 15 बिस्वा आराजी तक ही सीमित रहे न कि उस अन्य आराजी 8 बीघा जिसमें वादीगण की 2 बीघा आराजी स्थित है उसमें अपना हक जतावे । साथ ही तहसील के विरूद्ध वादीगण का केस था कि उसे विधिवत आवंटित आराजी जो खसरा नम्बर 153 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा आराजी के एक भाग 84 बीघा 15 बिस्वा से अलग है, जो 8 बीघा भूमि है किन्तु उसका अस्तित्व सैटलमेंट ने भूलवश नहीं कर पाया है, का अस्तित्व निर्धारित करते हुए वादीगण को उस शेष 8 बीघा में से 2 बीघा आराजी जिस पर वे तथा आवंटी व गैर खातेदार

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मदनलाल ने विधिवत हक अर्जित किया है में खातेदारी की घोषणा करे। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के उक्त संबंध में वाद की विषयवस्तु के सत्य को समझे बिना तथा सत्य के अन्वेषण हेतु वादीगण द्वारा बनाये गये रास्ते से पहुंचे बिना, अपने निहित स्थान पर अडिग रहते हुए वादीगण के वाद को अधिकारिता के आधार पर ही खारिज कर दिया, जिस बाबत यह अपील प्रस्तुत करने को वादीगण को विवश होना पड़ा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर वादीगण को खसरा नम्बर 153 रकबा 92 बीघा 15 बिस्वा आराजी के एक भाग 84 बीघा 15 बिस्वा से अलग है जो 8 बीघा भूमि है किन्तु उसका अस्तित्व सैटलमेंट ने भूलवश नहीं कर पाया है का अस्तित्व निर्धारित करते हुए अलग से खाता बनाकर उसमें से वादीगण अपीलार्थीगण के खाते में उपनम्बर बनाकर 2 बीघा आराजी जिस पर वे तथा आवंटी व गैर खातेदार मदनलाल ने विधिवत हक अर्जित किया है, की खातेदारी में घोषित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 16.01.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 689 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । एक्जीविट 1 नकल जमाबंदी सम्वत 2007 है, जिसमें मिन 3 की 20 बीघा 1 बिस्वा आराजी मथुरा लाल के खाते में दर्ज है। एक्जीविट 2 सम्वत 2009 की जमाबंदी है जिसमें 298/3 की 19 बीघा 17 बिस्वा आराजी मथुरा लाल के खाते में दर्ज है। एक्जीविट 3 नकल जमाबंदी सम्वत 2013–2016 है जिसमें खसरा नम्बर 298/3 की 19 बीघा 17 बिस्वा आराजी मथुरा लाल के खाते में दर्ज है। एक्जीविट 4 मिलान क्षेत्रफल है। यह मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2013–2032 का है। एक्जीविट 5 भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी है। नकल जमाबंदी सम्वत 2013–2016 सलंगन है जिसमें मथुरा बेटा भंवरलाल के खाते में खसरा नम्बर 298/3 की 19 बीघा 17 बिस्वा आराजी दर्ज है। एक्जीविट 6 नकल जमाबंदी सम्वत 2037–2040 में राजकीय वन जंगलात के खाते में कुल 34 किता की 396 बीघा 10 बिस्वा आराजी दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2009 में मथुरा बेटा भंवरलाल के खाते में खसरा नम्बर 298/3 की 19 बीघा 17 बिस्वा आराजी दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग की खतौनी संख्या 2030–2049 के अनुसान वन विभाग के खाते में 12 किता की 292 बीघा 17 बिस्वा आराजी दर्ज है। एक्जीविट 7 भू प्रबन्ध विभाग की नकल खसरा (फोटो प्रति है न की प्रमाणित प्रति) में 89 बीघा 6 बिस्वा आराजी खसरा नम्बर 12 की वन विभाग के खाते में दर्ज है। इसका गत खसरा नम्बर 9 अंकित है, परन्तु रकबा अंकित नहीं है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में कुछ अन्य फोटो प्रतियां भी एक्जीविट करवायी है जबकि फोटो प्रतियों को विधिक रूप से एक्जीविट नहीं करवाया गया है। एक्जीविट 14 शिविर प्रभारी को लिखे गये प्रार्थना पत्र की प्रति है। इसके अलावा एक्जीविट 15 रिपोर्ट की फोटो प्रति है और एक्जीविट 8 नोटिस की प्रति है। एक्जीविट 9, 10, 11 डाक विभाग की रसीदे हैं।

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

एक्जीविट 12 प्राप्ति की रसीद है। एक्जीविट 13 मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति है। इसके अलावा बयान पुष्कर्राज पी डब्ल्यू 1, बयान घासीलाल, हरमोहन और नारायण भी कराये गये हैं । अपीलांट वादी का यह कथन कि उनके पिता के खाते में साबिक खसरा नम्बर 20 बीघा 1 बिस्वा आराजी दर्ज थी। नकल जमाबंदी सम्वत 2007 एक्जीविट 1 के अनुसार मथुरा के खाते में मिन 3 की 20 बीघा 1 बिस्वा आराजी दर्ज है। नकल जमाबंदी एक्जीविट 2 के अनुसार वादी के पिता के खाते में खसरा नम्बर 298/3 की 19 बीघा 13 बिस्वा आराजी दर्ज है। वादी अपीलांट का कथन है कि खसरा नम्बर 298/3 का सैटलमेंट के उपरान्त नया खसरा नम्बर 9 कायम कर इसको सरकारी सिवाय चक दर्ज किया गया है, इस क्रम में उनके द्वारा जो मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई, एक्जीविट 4 उसका अवलोकन किया गया, इसमें गत खसरा नम्बर 293/3 अंकित नहीं है और हाल खसरा नम्बर 9 रकबा 150 बीघा 19 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 3 रकबा 153 बीघा 1 बिस्वा अंकित है। इस प्रकार हाल खसरा नम्बर 9 का साबिक खसरा नम्बर और रकबे से मिलान नहीं हो रहा है। अपीलांट वादी ने यह भी कथन किया कि दोबारा सैटलमेंट होने पर खसरा नम्बर 9 के नये खसरा नम्बर 12 कायम किये गये और इसका रकबा 89 बीघा 6 बिस्वा कायम कर वन विभाग के खाते में दर्ज किया गया है। हाल खसरा नम्बर 12 जो कि वन विभाग के खाते में दर्ज है, उसका साबिक खसरा वादी अपीलांट ने 9 बताये हैं जो कि सरकारी सिवाय चक आराजी 150 बीघा 14 बिस्वा है, न की वादी के खाते की आराजी । वन विभाग के खाते में जो हाल खसरा नम्बर 12 की 89 बीघा 7 बिस्वा आराजी दर्ज है, उसका साबिक खसरा नम्बर 9 भू प्रबन्ध विभाग के प्रपत्र सम्वत 2024–25 में अंकित है और इसका रकबा अंकित नहीं है, परन्तु साबिक खसरा नम्बर 9 का मिलान क्षेत्रफल एक्जीविट 4 के अनुसार

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

गत नम्बर 3 रकबा 153 बीघा 1 बिस्वा था, न कि वादी अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 298/3 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा । इस प्रकार वादी अपीलांट ने विधि सम्मत रूप से इनका दावा खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अपील संख्या 115/2013 निर्णय दिनांक 01.06.2017 से अपील खारिज की गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2018 यथावत जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/10/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– धन्नीबाई बेवा मदनलाल, जाति भील, निवासी गोरधनपुरा 2– बजरंगलाल आत्मज मदनलाल, जाति भील, निवासी गोरधनपुरा, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ .....**अपीलान्ट्स**	**बनाम**	1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झालरापाटन, जिला झालावाड़ 3– राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, झालावाड़ 4– चीफ कन्जरवेटर, वन विभाग राजस्थान जयपुर 5– वन मण्डल अधिकारी, झालावाड़ .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **11/2019** एवं
मु.द.नं0 **403/2013**

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, असनावर**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **08.08.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **14** माह **10** सन् **2022**

हाजरी **श्री पूरीलाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब अपीलान्ट एवं **श्री रामबाबू** अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं0 4 व 5 एवं **पैरोकार सरकार** की ओर से
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **20** माह **10** सन् **2022** को जारी किया गया ।

मोहर

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)